

ह कि उक्त आवासीय भवन पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा स्वयं का है जिस पर स्वामित्व अथवा कोई बड़ा विवाद नहीं है।

4. यह कि मेरे भवन का मानचित्र अनुमोदन / भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं है अथवा प्राधिकरण / स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है, जिस कारण मानचित्र नहीं है / स्वीकृत नहीं है। भवन हैरिटेज दृष्टि से पर्यटकों हेतु उपयोगी है।

उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होऊंगा ऐसी स्थिति में मेरा इस योजना अंतर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।

इसके द्वारा अधिति उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली -2015 (प्रथम संशोधन नियमावली-2016) तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में किये गये प्राविधानों / नियमों / शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया गया है, जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से बाध्य होऊंगा।

घोषणा

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसी स्थिति में मेरी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक 05/02/19 को मैं शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ-पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कंधूल करता हूँ।

अजय कुमार
शपथकर्ता के ह0



I, ajay Kumar,
Rajwal, has solemnly affirmed
of me and the contents of &
his affidavit & duty explained
at.....onday 05/02/19,
identified by sri ...

...
05/02/19